



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 05.08.2022

1-थाना जेवर पुलिस द्वारा अवैध हथियार व चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 05.08.2022 को थाना जेवर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध हथियार व चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त राहुल पुत्र सुरेश निवासी ग्राम साहबनगर, कस्बा व थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के रामपुर बांगर रोड कस्बा जेवर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 कारतूस जिन्दा तथा 01 चोरी की मोटरसाइकिल फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई बरामद की गई है।

अभियुक्त का विवरण:

राहुल पुत्र सुरेश निवासी ग्राम साहबनगर, कस्बा व थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

- 1.मु0अ0सं0 291/22 धारा 411/414/482 भा0द0वि थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर।
- 2.मु0अ0सं0 292/2022 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

1. 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर
- 2.01 चोरी की मोटरसाइकिल जिस पर फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई है



2-थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल की नम्बर प्लेट बदल कर लूट करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 01 अवैध चाकू तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 05.08.2022 को थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल की नम्बर प्लेट बदल कर लूट करने वाले दो अभियुक्त 1.नातिन उर्फ साहिल उर्फ राशिद उर्फ नाजिम उर्फ नसीम पुत्र मौ0 तालिब निवासी ग्राम जिसोरा, थाना मुंडाली, जिला मेरठ, 2.तस्सव्वुर उर्फ छोटे पुत्र स्व0 मुन्नव्वर हसन निवासी ग्राम अजराला, थाना मुंडाली, जिला मेरठ को थाना क्षेत्र के बन्द पड़े रिलायंस पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 01 अवैध चाकू तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है।

अभियुक्तों का विवरण-

1.नातिन उर्फ साहिल उर्फ राशिद उर्फ नाजिम उर्फ नसीम पुत्र मौ0 तालिब निवासी ग्राम जिसोरा, थाना मुंडाली, जिला मेरठ।

2.तस्सव्वुर उर्फ छोटे पुत्र स्व0 मुन्नव्वर हसन निवासी ग्राम अजराला, थाना मुंडाली, जिला मेरठ।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण:

अभियुक्त नातिम

1-मु0अ0सं0 288/2022 धारा 414/482 भादवि0 थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।

2-मु0अ0सं0 289/2022 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।

3-मु0अ0सं0 0032/2015 धारा 356 भादवि0 थाना बहादुरगढ़, जिला हापुड़।

4-मु0अ0सं0 89/2015 धारा 392 भादवि0 थाना बाबूगढ़ जिला हापुड़।

5-मु0अ0सं0 109/2015 धारा 25/414 भादवि0 थाना बाबूगढ़ जिला हापुड़।

6-मु0अ0सं0 116/2017 धारा 25 आयुद्ध अधि0 थाना बाबूगढ़ जिला हापुड़।

7-मु0अ0सं0 32/2018 धारा 25 आयुद्ध अधि0 थाना सिम्भावली जिला हापुड़।

8-मु0अ0सं0 620/2018 धारा 420 भादवि0 थाना किठोर जिला मेरठ।

9-मु0अ0सं0 140/2017 धारा 392/414 भादवि0 थाना मुंडाली जिला मेरठ।

10-मु0अ0सं0 159/2016 धारा 379 भादवि0 थाना मुंडाली जिला मेरठ।

11-मु0अ0सं0 163/2016 धारा 392 भादवि0 थाना मुंडाली जिला मेरठ।

12-मु0अ0सं0 164/2016 धारा 25 आयुद्ध अधि0 थाना मुंडाली जिला मेरठ।

13-मु0अ0सं0 173/2017 धारा 25 आयुद्ध अधि0 थाना मुंडाली जिला मेरठ।

14-मु0अ0सं0 199/2018 धारा 323/504/506 भादवि0 थाना मुंडाली जिला मेरठ।

15-मु0अ0सं0 281/2017 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट थाना मुडाली जिला मेरठ।

16-मु0अ0सं0 45/2020 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट थाना छपार जिला मुजफ्फरनगर।

17-मु0अ0सं0 171/2019 धारा 394 भादवि0 थाना छपार जिला मुजफ्फरनगर।

18-मु0अ0सं0 214/2019 धारा 414 भादवि0 थाना छपार जिला मुजफ्फरनगर।

19-मु0अ0सं0 964/2018 धारा 379 भादवि0 थाना नई मण्डी जिला मुजफ्फरनगर।

20-मु0अ0सं0 985/2018 धारा 395/412 भादवि0 थाना नई मण्डी जिला मुजफ्फरनगर।

21-मु0अ0सं0 986/2018 धारा 379 भादवि0 थाना नई मण्डी जिला मुजफ्फरनगर।

22-मु0अ0सं0 800/2018 धारा 379/411 भादवि0 थाना सिविल लाईन मुजफ्फरनगर।

अभियुक्त तस्सवुर

1-मु0अ0सं0 288/2022 धारा 414/482 भादवि0 थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।

2-मु0अ0सं0 290/2022 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

1.01 अवैध तमंचा मय .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर

2.01 अवैध चाकू

3.घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल



3-थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल से लूट करने वाले तीन अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 चोरी की मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा मय 01 कारतूस .315 बोर व 02 अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 05.08.2022 को थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल से लूट करने वाले तीन अभियुक्त 1.विकास पुत्र विरजू निवासी ग्राम समस्तीपुर, जिला खगरिया, बिहार वर्तमान निवासी शिवराम स्कूल के पीछे, छिजारसी, थाना सेक्टर-63, नोएडा, गौतमबुद्धनगर 2.दीपक पुत्र संतोष निवासी सैतरा, जिला फर्रुखाबाद वर्तमान पता गली

चोटपुर कॉलोनी, थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर 3.अंकित पुत्र मुन्ना सिंह निवासी दतरा, थाना बिसौली, जिला बदायूँ वर्तमान पता नंदा पब्लिक स्कूल के पीछे, चोटपुर कॉलोनी, थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के राधाकृष्ण मन्दिर के पीछे बहलोलपुर के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 01 चोरी की मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा मय 01 कारतूस .315 बोर, 02 अवैध चाकू बरामद किये गये है।

अभियुक्तों का विवरण:

- 1.विकास पुत्र विरजू निवासी ग्राम समस्तीपुर, जिला खगरिया, बिहार वर्तमान निवासी शिवराम स्कूल के पीछे, छिजारसी, थाना सेक्टर-63, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
- 2.दीपक पुत्र संतोष निवासी सैतरा, जिला फर्रुखाबाद वर्तमान पता गली चोटपुर कॉलोनी, थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।
- 3.अंकित पुत्र मुन्ना सिंह निवासी दतरा, थाना बिसौली, जिला बदायूँ वर्तमान पता नंदा पब्लिक स्कूल के पीछे, चोटपुर कॉलोनी, थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण:

- 1-मु0अ0सं0 291/2022 धारा 41/102सीआरपीसी व 414 भादवि बनाम विकास,दीपक,अंकित थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।
- 2-मु0अ0सं0 292/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम विकास थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।
- 3-मु0अ0सं0 293/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम दीपक थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।
- 4-मु0अ0सं0 294/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम अंकित थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।
- 5-मु0अ0सं0 595/2020 धारा 414 भादवि0 बनाम विकास थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
- 6-मु0अ0सं0 596/2020 धारा 25 आयुद्ध अधि0 बनाम विकास थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
- 7-मु0अ0सं0 1207/2021 धारा 25/4 आयुद्ध अधि0 बनाम विकास थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
- 8-मु0अ0सं0 1293/2017 धारा 380/411 भादवि0 बनाम विकास थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

- 1.01 चोरी की मोटर साइकिल
- 2.01 अवैध तमंचा मय 01 कारतूस .315 बोर व 02 अवैध चाकू



#थाना ए0एच0टी0यू0 पुलिस द्वारा काउंसलिंग के बाद गुमशुदा महिला को 02 वर्ष के बाद परिजनों से मिलवाया गया।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशानुसार पुलिस उपायुक्त महिला सुरक्षा के पर्यवेक्षण में ए0एच0टी0यू0 टीम द्वारा समय-समय पर विभिन्न शैल्टर होम मे आवासित बच्चो एवं महिलाओं की काउंसलिंग की जाती है। दिनांक 29.07.2022 व 03.08.2022 को काउंसलिंग के दौरान ए0एच0टी0यू0 टीम द्वारा अपना घर आश्रम सेक्टर-34 नोएडा में एक महिला ने अपना नाम रूपा(काल्पनिक नाम) बताया जिसको दिनांक 31.08.2020 को थाना सेक्टर-20 पुलिस द्वारा अपना घर आश्रम शैल्टर होम सेक्टर-34 नोएडा में लाया गया था। महिला ने यह भी बताया कि वह परिवार से कुछ अनबन हो जाने के कारण घर से गुस्से में निकल आयी और ट्रेन में बैठ गयी जो लावारिस हालत में थाना सेक्टर-20 पुलिस को मिली थी। महिला को लावारिस हालत में घूमता देखकर थाना सेक्टर-20 पुलिस द्वारा शैल्टर होम में दाखिल कराया गया था। ए.एच.टी.यू. टीम द्वारा काउंसलिंग की गई महिला द्वारा बताया गया की उसके पति अमरोहा के एक कारखाने में कार्य करते है। ए0एच0टी0यू0 टीम द्वारा कोतवाली अमरोहा की चौकी टीपीनगर वार्ता कर महिला के पति के बारे में पता किया तो एक व्यक्ति ने महिला के पति का पता बताया जिसपर टीपी नगर चौकी पर नियुक्त का0 संजय कडे प्रयास के बाद बताये हुए पते पर पहुँचे और महिला के पति को महिला के बारे में बताया जिसपर महिला के पति उसके परिवारिजनों को द्वारा गुमशुदा महिला के बारे में जानकार खुशी जताई गयी। आज दिनांक 05.08.22 को महिला रूपा(काल्पनिक नाम) का पति व उसका बेटा महिला से 02 वर्ष बाद आपस में मिले तो भावुक होकर आंखो में खुशी के आंसू आ गये। सभी लोगों द्वारा थाना ए0एच0टी0यू0 पुलिस का आभार व्यक्त किया गया। महिला को अपना घर आश्रम के सहयोग सुपुर्दगी की कार्यवाही की जा रही है।

#थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा लावारिस हालात में घूम रहे जनपद मऊ से गुमशुदा हुए 03 बच्चों को उनके माता-पिता का पता लगाकर उनके सुपुर्द किया गया।

दिनांक 05/08/2022 को थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा गश्त के दौरान एच्छर क्षेत्र में लावारिस हालात में घूम रहे 03 बच्चे 1. उम्र 12 वर्ष 2. उम्र 13 वर्ष 3. उम्र 13 वर्ष मिलने पर उनको पुलिस अभिरक्षा में लिया गया और आस-पास के क्षेत्र में उनके बारे में जानकारी की गई। काफी प्रयास के बाद भी उक्त बच्चों के बारे में कुछ पता ना चलने पर पुलिस द्वारा बच्चों से मिलनसार भाव से जानकारी की गई जिसमें जानाकरी हुई की उक्त सभी बच्चे जनपद मऊ से है। थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा जनपद मऊ पुलिस से सम्पर्क किया गया और बच्चों के माता-पिता के बारे में पता लगाया गया। उक्त तीनों बच्चो के परिजनों द्वारा लापता होने की आशंका में दिनांक 03/08/2022 को थाना रानीपुर जनपद मऊ में शिकायत दर्ज कराई थी। थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा आज सभी बच्चों को सकुशल इनके परिजनों के सुपुर्द किया गया ।

#पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज गुण्डा एक्ट के अंतर्गत 02 अपराधियों को जिला बदर किया गया है।

पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 05.08.22 को पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा गुण्डा एक्ट के अंतर्गत 02 अपराधियों 1.राहुल पुत्र

राम सिंह निवासी आजाद अम्बावत का मकान गांव निठारी, थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर 2.महमूद पुत्र अख्तर निवासी ग्राम असगरपुर, थाना एक्सप्रेस-वे को कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की सीमा से जिला बदर किया गया है।

कमिश्नरेट में अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की कड़ी कार्यवाही निरंतर स्तर पर जारी रहेगी।

पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह द्वारा ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लव कुमार व अपर पुलिस आयुक्त भारती सिंह के साथ सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन, दलित प्रेरणा स्थल, मॉडलटाउन गोलचक्कर सेक्टर-62 व बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के आस-पास यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया गया और सम्बन्धित पुलिस अधिकारीगण को यातायात व्यवस्था दुरूस्त रखने, अवैध रूप से सड़क पर वाहन पार्क करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने व बॉटल नेक ट्रेफिक व्यवस्था को खत्म करने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये।

दिनांक 05/08/2022 को पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह द्वारा ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लव कुमार व अपर पुलिस आयुक्त भारती सिंह के साथ सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन, दलित प्रेरणा स्थल, मॉडल टाउन गोलचक्कर सेक्टर-62 व बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के आस-पास यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा मेट्रो स्टेशन व आस-पास के मुख्य चौराहो पर यातायात व्यवस्था दुरूस्त रखने हेतु सड़के किनारे अवैध रूप से वाहन पार्क करने वाले लोगों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई करने, आसपास बॉटल नेक ट्रेफिक व्यवस्था को खत्म करने के लिए प्रभावी प्रारूप तैयार कर व्यवस्था लागू करने के लिए सम्बन्धित अधिकारीगण को निर्देशित किया गया। यातायात नियमों का पालन ना करने वाले वाहनों, बिना परमिट चल रहे ऑटो/वाहनों व डग्गेमार वाहनों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने, ट्रेफिक हेल्पलाइन, यातायात नियमों के संबंध में नागरिकों को जागरूक करने के लिए निर्देशित किया गया।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशानुसार आज सभी डीसीपी व एडीसीपी के नेतृत्व में कमिश्नरेट के सभी जोन में विशेष ट्रेफिक अभियान चलाया गया था जिसमे सभी जोन के पुलिस अधिकारीगण द्वारा नियमों का पालन ना करने वाले व अवैध रूप से संचालित वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। सभी जोन में कुल 2017 वाहनों के चालान किए गए और 34 वाहनों को सीज भी किया गया। आगे भी इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह द्वारा ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लव कुमार व अपर पुलिस आयुक्त भारती सिंह के साथ रक्षा बंधन के त्योहार के कारण बाजारों व मेट्रो स्टेशन के आसपास महिलाओं की ज्यादा भीड़ लगने के कारण महिलाओं से वार्तालाप की गई और उनकी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। वार्तालाप के दौरान महिलाओं से पुलिस कार्यशैली के बारे में फीडबैक लिया गया और सम्बन्धित अधिकारीगण को प्रभावी पैट्रोलिंग सुनिश्चित कराने, आस-पास सीसीटीवी कैमरों की सहायता से नजर रखने व महिला सुरक्षा ईकाई व स्वयं सिद्धा टीम को लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहने के संबंध में निर्देशित किया गया।

निरीक्षण के दौरान डीसीपी नोएडा हरीश चंदर, डीसीपी ट्रेफिक गणेश प्रसाद, एडीसीपी नोएडा आशुतोष द्विवेदी व अन्य पुलिस अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

